

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 11.11.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 875/2025 धारा 61(1), 76, 115(2), 351(3), 352, 333 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त दीपक उर्फ दीपचन्द्र पुत्र ध्रुवचन्द्र उर्फ ध्रुपचन्द्र निवासी रक्शा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 11.11.2025 को टेमा रहमत चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 26.09.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 13.02.2025 की शाम को वादिनी के घर में घुसकर वादिनी के साथ दुष्कर्म करने, गाली व धमकी देने तथा उलाहना देने पर अभियुक्त के परिजनों द्वारा गाली गलौज व धमकी देते हुए मारपीट करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 11.11.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री इन्द्रभूषण सिंह, का0 विनय कुमार, का0 बलराम यादव।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध अधिनियम के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 11.11.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

दिनांक – 26.05.1999 को वादी प्रभारी निरीक्षक थाना को0 खलीलाबाद श्री सूर्यबली सिंह द्वारा मय पुलिस बल के साथ अभियुक्त को 26 राशि गोवंशीय पशु के साथ गिरफ्तार करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 319/1999 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा 41/411 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

सजा विवरण:-

उक्त मामले में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा 41/411 भादवि में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये चोरी की साइकिल व एक अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** द्वारा जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 11.11.2025 को 01 अभियुक्त नाम पता नईम पुत्र अली हुसैन निवासी डिहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को चोरी की एक अदद साइकिल व एक अदद नाजायज चाकू जिला अस्पताल पी0एम0 हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 1045/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नईम पुत्र अली हुसैन निवासी डिहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की एक अदद साइकिल।

2. एक अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह, का0 भीम कुमार, म0का0 आरती सिंह, म0का0 प्रतीक्षा यादव।

पूछताछ विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ किया गया तो अभियुक्त ने बताया गया कि इस साइकिल को मैंने बाजार के दिन खलीलाबाद मेहदावल बाईपास के पास से कुछ दिन पहले चुराया था, जिसे आज बेचने के लिए जा रहा था।

-आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 581/18 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 596/18 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
3. मु0अ0सं0 678/18 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
4. मु0अ0सं0 682/18 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
5. मु0अ0सं0 1251/18 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
6. मु0अ0सं0 863/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

****“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 11.11.2025 को मा0 न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

दिनांक – 01.03.2001 को वादी मो0 अमीन पुत्र शकूर निवासी हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त शोभे पुत्र जगनरायन निवासी हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध थाना महुली पर वादी की दुकान से 5960 रु0 चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 35/2001 धारा 380/411 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था।

सजा विवरण:-

उक्त मामले में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा 380/411 भा0द0वि0 में जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5996 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल— पीआरवी 5996 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत तेनुआ राजा से कालर द्वारा दो बाइकों के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 महिला (1.प्रीती यादव पुत्री सुरेश यादव ग्राम कसरवल थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त महिला को ईलाज हेतु जिला अस्पताल एडमिट कराया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल एडमिट कराया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- उ0नि0 श्री मेवालाल, का0 संदीप कुमार यादव, हो0चा0 रामकृष्ण मौर्य ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 427 वाहनों से 5,43,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 11.11.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए **427 वाहनों से 5,43,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप बिना लाइसेंस औषधि विक्रय के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 15000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 11.11.2025 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 15000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना विवरण:-

दिनांक – 22.11.2017 को वादिनी औषधि निरीक्षक श्रीमती सीमा वर्मा द्वारा अभियुक्त पवन कुमार गुप्ता पुत्र प्यारेलाम गुप्ता निवासी वार्ड नं0 05 इंदिरा नगर हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाने के आरोप में थाना महुली पर मु0अ0सं0 1679/17 धारा 18C/27(6)ii व 18A/28/22 औषधि प्रसाधन अधिनियम पंजीकृत कराया गया था ।

सजा विवरण:-

उक्त मामले में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा धारा 18C/27(6)ii औषधि प्रसाधन अधिनियम में आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 15000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।

***थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये गैंगेस्टर एक्ट में वांछित व 5000-5000 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित
अन्तर्राज्यीय शांति अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार***

***अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद मोटर साइकिल व 01 अदद नायाजय चाकू व 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर तथा 02
अदद जिन्दा कारतूस बरामद***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राज शेखर पाण्डेय* के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री जयप्रकाश दूबे* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 12.11.2025 को मु0अ0सं0 567/2025 धारा 2(b) (i) , 3(1) यूपी गैंग0 एक्ट में वांछित 02 शांति अभियुक्तों 01. लक्ष्मी नारायण उर्फ बत्तन पुत्र नन्दलाल साकिन नरगड़ा जंगा सिंह थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को एक अदद नायाजय चाकू के साथ व 02. सोनू उर्फ मन्टू पुत्र रामसजन साकिन एकौना खुर्द थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ ग्राम बारीडीहा के नटवाबार तिराहा से गिरफ्तार किया गया।

***गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 580/2025 धारा 3/25 व 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया*।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. लक्ष्मी नारायण उर्फ बत्तन पुत्र नन्दलाल साकिन नरगड़ा जंगा सिंह थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।
2. सोनू उर्फ मन्टू पुत्र रामसजन साकिन एकौना खुर्द थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. अभियुक्त लक्ष्मीनारायण के पास से बरामद 01 अदद मोटर सायकिल साइकिल(UP53 EW 6728)।
2. 01 अदद नायाजय चाकू(अभि0 लक्ष्मीनारायण के पास से बरामद)।
03. 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर(अभि0 सोनू उर्फ मण्टू के पास से बरामद)।

***अभियुक्तगणों का अपराधिक इतिहास* -**

***अभियुक्त लक्ष्मी नारायण उर्फ बत्तन पुत्र नन्दलाल का अपराधिक इतिहास*-**

1. मु0अ0सं0 514/24 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर।
2. मु0अ0सं0 516/24 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर।
3. मु0अ0सं0 545/24 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर।
4. मु0अ0सं0 549/24 धारा 317(2),317(4),317(5) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर।
5. मु0अ0सं0 567/25 धारा 2(b)(i), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर।
6. मु0अ0सं0 334/23 धारा 380,411,457 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना राजेसुल्लानपुर जनपद अम्बेडकर नगर।
7. मु0अ0सं0 133/2025 धारा 305, 317(2), 331(4) बीएनएस थाना राजेसुल्लानपुर जनपद अम्बेडकर नगर।
8. मु0अ0सं0 580/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर।

अभियुक्त सोनू उर्फ मन्टू पुत्र रामसजन का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 514/24 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर।
2. मु0अ0सं0 516/24 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर।
3. मु0अ0सं0 545/24 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर।
4. मु0अ0सं0 549/24 धारा 317(2),317(4),317(5) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर।
5. मु0अ0सं0 567/25 धारा 2(b)(i), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर।
6. मु0अ0सं0 090/24 धारा 147,427,504,506 भादवि थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।
7. मु0अ0सं0 200/25 धारा 351(3),352 बीएनएस थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।
8. मु0अ0सं0 334/23 धारा 380,411,457 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना राजेसुल्लानपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री जय प्रकाश दूबे , उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, का0 महेन्द्र निषाद, का0 जितेन्द्र यादव, का0 प्रवीण कुमार, का0 मुकेश कुमार, का0 अभिषेक यादव, का0 अनिल प्रसाद।